

—:समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल गवालियरः—

(केम्प भोपाल)



३१-८/१६/१

नंग - २१ ८९-८०३२१६

बुधिया बाई पत्नि स्व. घुडियालाल मेहरा उम्र लगभग ८० वर्ष
००१२१५३२/

बुधिया बाई पत्नि स्व. घुडियालाल मेहरा उम्र लगभग ८० वर्ष
निवासी न्यू जनता स्कूल के सामने शंकर मंदिर वार्ड नं. १७
आसफाबाद इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म.प्र.

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका

बनाम

1. तारासिंह मेहरा आ. स्व. बाबूलाल मेहरा उम्र-३२ वर्ष धंधा काश्तकारी
2. टीकाराम मेहरा आ. स्व. बाबूलाल मेहरा धंधा उम्र-३८ वर्ष काश्तकारी
3. श्रीमति सरजूबाई मेहरा बेवा स्व. श्री पन्नालाल मेहरा, उम्र-७५ वर्ष गृणिगी
4. प्रेम मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-४५ वर्ष व्यय. काश्तकारी
5. रम्मू मेहरा आ.स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-३० वर्ष व्यव. काश्तकारी
6. जयसिंह मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-२८ वर्ष व्यव. काश्तकारी
7. टिल्लू उर्फ अतरसिंह मेहरा आ.स्व. पन्नालाल उम्र-३५वर्ष मेहरा व्यय. काश्तकारी
8. मोटा उर्फ पुरुषोत्तम मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-२८ वर्ष
9. राजाराम मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-२७ वर्ष

सभी निवासी ग्राम नगवाडा पो०-गनेरा थाना व तहसील बाबई

जिला—होशंगाबाद म.प्र.

उत्तरवादी / अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू—राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता बुधियाबाई सविनय निवेदन करती है कि :-

- 1— पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका माननीय निम्न राजस्व न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बाबई तहसील बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक ९२४-६ वर्ष २०१३-१४ ग्राम नगवाडा जिराके की पक्षकार बुधियाबाई बनाम तारासिंह बगैरा है। मैं दिनांक २२-०८-२०१६ को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।

०२

बुधिया बाबई

(B)

(2)

(X)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

R 2989 - PBR/16

प्रकरण क्रमांक

तहमाल

शुद्धिमाला

विरुद्ध

जिला

लाइनिंग
दैशीलन

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुचिभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहमाल का प्रकरण क्रमांक

वाट का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>तहमाल २२, २०१६</p> <p>आयुक्त संभाग, जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक २२-८-१६</p> <p>के विरुद्ध श्री मुख्यमंत्री शुभ तुल्य</p> <p>के अभिभावक द्वाग अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है / नहीं है / मुद्रांक शुल्क पूर्ण है</p> <p>रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है / नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन को प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्वान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है।</p>	<p>प्रस्तुतकार</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>प्रस्तुतकार</p>
2.9.2016	<p>आवेदिका ने ओर ले ली</p> <p>अशोक शुभा आमिभाषक उपायका।</p> <p>ग्राम्यन वा दुनामा। तहसीलिया।</p> <p>को निवास दिये जाते हैं कि</p> <p>वे आगामी पेशी वर्ष आवेदिका</p>	<p>प्रस्तुतकार</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>प्रस्तुतकार</p>

कुंडला वार्ड तारीख १०/२/१९८८
 R 27 89 PDR/16 दो बज़े ५१८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>के प्रति-पर्वीसम का अवलोकन ३५७०४ करायें। इनमें से जीवन के लाभ समाप्त किया जाता है।</p> <p>9/2</p>	<p>अधिस <i>.....</i></p>